(1) अपील डिक्री/टी.ए./4576/2021/गंगानगर
(2) अपील डिक्री/टी.ए./4640/2021/गंगानगर
विद्यादेवी बनाम अमीचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री सतवीर सिंह सिद्धू, अभिभाषक अपीलांट

दिनांक : 27–7–2022

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 77/2002 में पारित निर्णय दिनांक 22–1–2004 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय–वस्तु समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो.सं.1 अमीचंद ने एक वाद धारा 88,188,92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के यहां प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 एलएनपी के मु.नं. 36 की 25 बीघा खाला आदि सहित एवं चक 9 एलएनपी के मु. नं. 27 के कि.नं. 3 की 5 बिस्वा, 8/2 की 10 बिस्वा, 13/2 की 10 बिस्वा, 14 सालम, 17 सालम, 18/2 की 10 बिस्वा, 23/2 के 10 बिस्वा तथा 24 सालम, 25 सालम कुल 6 बीघा 5 बिस्वा घेरूराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज थी और उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र रजीराम के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। रजीराम के देहान्त के बाद हरकोरी पत्नी रजीराम के नाम दर्ज हुई। हरकोरी का देहान्त हो चुका है और प्रतिवादिया हिन्दू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी एकमात्र वारिस है। प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा 1959 से चला आ रहा है और इस प्रकार वादी का कब्जा मुखालफाना हो चुका है। वादी का कब्जा होस्टाइल होने से वादी स्वतः ही भूमि का खातेदार हो जाता है। प्रतिवादिया वर्तमान में स्थायी रूप से पंजाब में निवास करती है और वह यहां की मूल निवासी नहीं है। उसके द्वारा भूमि को कभी काश्त नहीं किया गया। वादी के कब्जे को छुडाने का कभी प्रयास नहीं किया गया। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर उक्त आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और आराजी को किसी प्रकार से रह, बय व मुंतकिल नहीं करे। प्रतिवादिया ने जवाब दावा मय प्रतिवाद (काउन्टर क्लेम) प्रस्तुत किया जिसमें वादी के कथनों से असहमति जाहिर करते हुए अंकन किया कि घेरूराम के 2 पुत्र श्योलाल व रजीराम हुए। जिनके नाम विरासत का नामान्तरकरण 50 बीघा भूमि पर दर्ज हुआ जो कि चक 6 एलएनपी का रकबा है। चक 9 एलएनपी की 25 बीघा भूमि भी रजीराम पुत्र घेरूराम तथा हरकोरी बेवा रजीराम के नाम दर्ज हुई जो प्रतिवादिया की सहमति के बिना हुई है। चक 9 एलएनपी की 6 बीघा 5 बिस्वा का खाता प्रतिवादी सं. 1 की माता व प्रतिवादी सं. 1 की सहमति के बिना दर्ज किया गया। कुल 75 बीघा भूमि जो चक 6 एलएनपी के मु. नं. 36 व 42 में 50बीघा में बहिस्सा बराबर तथा चक 9 एलएनपी के मु.नं. 27 में 25 बीघा भूमि बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज थी जिसका विभाजन नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि को ठेके पर दिया गया था। चूंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए वादी का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 के पिता, माता व उसकी सहमति से था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है, ना ही उसे कोई कानूनी अधिकार है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे और चक 6 एलएनपी के मु.नं. 36 व 42 की 50बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा तथा चक 9 एलएनपी के मु.नं. 27 की 25 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का कब्जा प्रतिवादिया को दिलाया जावे। चक 6 एलएनपी के मु.नं. 36 व 42 तथा चक 9 एलएनपी के मु.नं. 27 की 25 बीघा में प्रतिवादिया को मृतक हरकोरी के स्थान पर विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। वादी द्वारा प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हरकोरी के नाम से मुश्तर्का खाते में भूमि दर्ज नहीं होकर हरकोरी का खाता अलग था। भूमि का विभाजन हरकोरी के जीवनकाल में उसकी सहमति से हुआ है, जिसे हरकोरी ने कभी चुनौती नहीं दी। प्रतिवादिया का काउन्टर क्लेम मयाद बाहर है। वादी का कब्जा बतौर मुखालफाना खातेदार के रूप में है ना कि अतिचारी के रूप में। प्रतिवादिया को वादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद हेतुक नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादिया का प्रतिवाद निरस्त फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की एवं उन पर साक्ष्य दर्ज कर तथा पक्षकारान को सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 14–6–2002 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर प्रश्नगत आराजी चक 6 एलएनपी के मु.नं. 36 की 25 बीघा एवं चक 9 एलएनपी के मु.नं. 27 के कि.नं. 3 की 5 बिस्वा, 8/2 की 10 बिस्वा,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/2 की 10 बिस्वा, 14 की 1 बीघा, 17 के 1 बीघा, 18/2 की 10 बिस्वा, 23/2 के 10 बिस्वा तथा 24 की 1 बीघा 25 की 1 बीघा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया और प्रतिवादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया व प्रतिवादिया सं. 1 का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादिया/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 द्वारा खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रतिवादिया/अपीलांट ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील सं. 552/2004 प्रस्तुत की। मण्डल के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा यह आपत्ति की गई कि वर्तमान अपील मेन्टेनेबल नहीं है इसलिए गुणावगुण पर इसका निर्णय नहीं करते हुए केवल पोषणीयता के आधार पर सुनी जावे। रेस्पोडेन्ट ने अपनी आपत्ति में यह निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष दावा संख्या 136/99 रेस्पोडेन्ट सं.1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादिया सं.1/वर्तमान अपीलांट ने जवाब दावे के साथ मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया था और दावा खारिज करने और प्रतिवाद के आधार पर दावे के पेरा सं.2 में वर्णित भूमि का कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष मांगा था। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2002 के द्वारा वादी/वर्तमान रेस्पो. का दावा स्वीकार कर डिक्री किया तथा प्रतिवादिया सं.1/ वर्तमान अपीलांट का प्रतिवाद खारिज कर दिया। आदेश 8 नियम 6–ए (2) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवाद पत्र एक प्रकार से क्रोस सूट होता है जिसे दावे की तरह ही निर्णित किया जायेगा। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रतिवादिया सं.1/वर्तमान अपीलांट को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष 2 अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी जबकि उनके द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जो मेन्टेनेबल नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26–2–2020 द्वारा रेस्पोडेन्ट की आपत्ति स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि ''उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दावा एवं प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय के विरूद्ध ''कम्पोजिट अपील'' मैंटेनेबिल नहीं है, अतः योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आर0आर0टी0 2008 (1) 701 एच.सी. को इस अपील के निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील डिक्री संख्या 7157/2007 में पारित निर्णय दिनांक 17.9.2019 को भी इस अपील के निर्णय को आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये निर्णय भी आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 701 एच.सी. पर आधारित है। अतः आर0बी0जे0 2017 पेज 390 एच.सी. तथा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या आरएसए 358/2005 अनुवानी सरण बनाम गुलाबचंद में पारित निर्णय दिनांक 10.11.1970 के अनुसरण में दावा और प्रतिदावा के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई ''कम्पोजिट अपील'' मैंटेनेबिल नहीं होने से हस्तगत अपील खारिज की जाती है।'' माननीय खण्ड पीठ के उक्त निर्णय दिनांक 26–2–2020 के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6526 सन् 2021 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 6–9–2021 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः राजस्व मण्डल को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये कि अपीलांट/पिटिशनर को प्रतिवाद से संबंधित पृथक अपील 15 दिवस में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। जिसके अनुसरण में अपने प्रतिवाद को लेकर अपीलांट द्वारा अपील संख्या 4576/2021 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 6–9–2021 के अनुसरण में अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई अपील संख्या 552 / 2004 को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये, जिस पर अपील संख्या 4640 / 2021 दर्ज की गई। अभि0 रेस्पो0 को बार–बार आवाजें दिलवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अपीलांट / प्रतिवादिया एक विधवा है और विधवा के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 45 एवं धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि विधवा की आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। साथ ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जिस आधार पर वाद डिक्री किया है वह कानून के अनुसार भी सही नहीं है क्योंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रेस्पोडेन्ट / वादी के वाद को स्वीकार करने का जो आधार माना है वह गलत है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। मण्डल की माननीय पूर्ण पीठ ने न्यायिक दृष्टांत 2011 RRD 508 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 एवं 22–6–2002 निरस्त किये जावे तथा वादी का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद निरस्त कर प्रतिवादिया का प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जिस आधार पर वाद डिक्री किया है वह कानून के अनुसार सही नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 2011 RRD 508 अवलोकनीय है, जिसमें मण्डल की माननीय पूर्ण पीठ ने मण्डल की माननीय वृहद पीठ द्वारा 1991 RRD 1 में पारित निर्णय को ओवर रूल्ड करते हुए निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया है– **"Rajasthan Tenancy Act, Section 232- The questions as referred by Division Bench of this court for consideration of the Full Bench- (1) Whether Khatedari rights can be conferred on a trespasser on the basis of adverse possession; (2) whether tenancy rights extinguished u/s 63 (1) (iv) of the Act of 1955 creates khatedari rights on trespasser on the basis of adverse possession of after extinction tenancy tights revert to the land holder- the State Govt.; (3) Whether Board of Revenue has legislative powers to lay down a new law for grant of khatedari rights over and above the Act; (4) whether the judgment of the Larger Bench reported in 1991 RRD 1 should be revoked or annulled in light of the provisions of the Act of 1955- Answer given by the Full Bench (1) In the view of this Bench Larger Bench in its judgment '1991 RRD 1' has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possession- Conferment of tenancy rights is against the basic sprit of this special**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	legislation; (2) In the opinion of this Bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights on the basis of adverse possession; (3) In the opinion of this Bench, the Board does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights; (4) In the opinion of this Bench, the judgment of Larger Bench reported in 1991 RRD 1 being not a good law, deserves to be set aside- The Matter may now be placed before the concerned Bench for decision of appeal according to law." इसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वयं रेस्पोडेन्ट/वादी प्रतिवादिया/अपीलांट को हरकौरी की एकमात्र पुत्री होना स्वीकार करता है। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादिया/अपीलांट अपने पिता की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2022 निरस्त किये जाते हैं तथा वादी/रेस्पो.सं.1 का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादिया/अपीलांट का प्रतिवाद (काउन्टर क्लेम) डिक्री किया जाकर प्रतिवादिया के हिस्से की आराजी चक 6 एलएनपी के मु.नं. 36 व 42 की 50 बीघा में से 1/2 हिस्सा तथा चक 9 एलएनपी के मु.नं. 27 के 25 बीघा में 1/2 हिस्सा का कब्जा दिलाये जाने तथा चक 6 व 9 एलएनपी के मु.नं. 36, 42 तथा 27 की कुल 75 बीघा भूमि में प्रतिवादिया को मृतका हरकोरी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थान पर विरासतन खातेदार घोषित किये जाने एवं उक्त चक की जमाबंदी में प्रतिवादिया को सह–काश्तकार के रूप में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य** **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	